पॉम ऑयल का उत्पादन

1756. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पॉम ऑयल का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार इसके उत्पादन में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के लिए इसके उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है :

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान ऑयल पॉम इंडिया लि० द्वारा अपरिष्कृत ताड़-तेल का उत्पादन निम्नवत है :—

अवधि	अपरिष्कृत ताड़-तेल का उत्पादन (मी० टन में)
1989–90	2108
1990–91	2518

(ख) व (ग) जी हां । सरकार द्वारा 80,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में तेल-ताड़ की खेती शुरू करने के एक व्यापक कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है । ताड़ की खेती लम्बी गर्भावधि लेती है और इसलिए 1992-93 के दौरान लगाए गए पौधों से तेल का उत्पादन केवल आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक होने की उम्मीद है । वर्ष 1993-94 के लिए इसके उत्पादन का कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है ।

उचित दर दुकानें खोलने हेतु उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्राथमिकता

1757. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में उचित दर दुकानें खोलने हेतु उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त प्रक्रिया को अपनाने हेतु सभी राज्य सरकारों को भी निर्देश दे दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार अपने इस कदम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां तो किस हद तक ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । उचित दर की दुकानें खोलने, हकदारी के मानदंड आदि से संबंधित निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे उचित दर की दुकानों को मंजूर करने के मामले में सहकारी समितियों को तरजीह दें ।